

09.10.25

उपरोक्त उपा. मूल पत्र लकी अया. में खरिद  
लेने से यह प्रा.पत्र स्वतः अया.शुल्क ले चुका है  
प्रा.पत्र 212 RTA इसी स्वतः पर खरिज किया जाता  
है नंबर से का लो

आदेश सुनाया गया

82  
उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ़ (राज.)

G/CMS  
2021/181

